रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 1980/ज्येष्ठ 28, 1902
No. 251] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 1980/JYAISTHA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का०आ० 436(अ)/सं० ई(सी) ओ, 1977/ए एम (164) :—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 21वें संशोधन आदेश, 1980 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3 की क्रम सं० 4(5) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4
"4 (5)	500 ग्राम और इससे अधिक आकार वाली ताजी और जमी हुई सिलवर पोम्फेटस ।	बी-7	—

[मिसिल संख्या 1/10/79-ई-I/नीति-1]

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 436(E)/No. E(C) O, 1977/AM (164).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Orde may be called the Exports (Control) Twenty-first Amendment Order, 1980.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL. 3, the following shall be added after S. No. 4(iv) : —

1	2	3	4
"4(v)	Fresh and frozen silver pomfrets of sizes 500 Grams and above	B.7	—

[File No. 1/10/79-EI/Vol. I]

MANI NARAYANSWAMI,

Chief Controller, Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980